

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 24/2018

1. उगमा पुत्र श्री मूला चमार उम्र 65 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम लाम्बा ग्राम पंचायत शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

-----प्रार्थी

ब न म

1. सुरेश शर्मा पुत्र श्री गंगाराम शर्मा जाति ब्राह्मण ।
2. रामकरण पुत्र श्री लादू कुम्हार जाति कुम्हार।
3. भंवर पुत्र लादू जाट जाति जाट।
4. किशना पुत्र मोती बैरवा जाति बैरवा सभी निवासीगण ग्राम लाम्बा ग्राम पंचायत शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।

-----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम  
आदेश

दिनांक: 03.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खसरा संख्या 392/2 रकबा 10-00-00, बारानी 3 बीघा भूमियां प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयाज का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खसरा संख्या 392/2 रकबा 10-00-00 बीघा भूमियां प्रार्थी के नाम दर्ज है।



.....लगातार

(मोहनलाल खन्नावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी

उगमा बनाम सुरेश शर्मा व अन्य

प्रकरण संख्या 24/2018

//2//

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप-चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एवं विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खसरा संख्या 392/2 रकबा 10-00-00, बारानी 3 बीघा भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढ़ी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी, मसूदा  
(मोहनलाल खटनावलिया)

उपखण्ड अधिकारी

मसूदा (अजमेर) जज.